GOVERMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION

Jaipur dated : 19.08.2010

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government hereby rescinds this department's notification No.F.2(26)FD/Tax/98 Part-103 Dated 27.09.04, as amended from time to time.

[No. F.2(47)FD/Tax/10-58]
By order of the Governor.

(Bhawani Singh Detha)
Deputy Secretary to Government.

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांक : 19.08.2010

अधिसूचना

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 16) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना कमांक प.12(28)वित्त/कर/2007-156 दिनांक 09 मार्च 2007, समय-समय पर यथासंशोधित, में निम्न संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में अलवर उपजिले से संबंधित कॉलम संख्या 1 में,-

1. कम संख्या 1 पर विद्यमान अभिव्यक्ति "उप रजिस्ट्रार अलवर" को अभिव्यक्ति "1-(अ) उप रजिस्ट्रार अलवर-प्रथम, 1-(ब) उप रजिस्ट्रार अलवर-द्वितीय" से प्रतिस्थापित किया जावेगा।
2. कम संख्या 13 पर विद्यमान अभिव्यक्ति "उप रजिस्ट्रार रामगढ़" को अभिव्यक्ति "तहसीलदार रामगढ़" से प्रतिस्थापित किया जावेगा।

(प.2(17)वित्त/कर/2010-59)
राज्यपाल के आदेश से

(भवानी सिंह देथा)
शासन उप सचिव

P.T.O

राजस्थान–सरकार
वित्त (कर) विभाग

अधिसूचना

जयपुर दिनांक: 19.08.2010

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 9 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(26)वित्त/कर/98–45 दिनांक 22.05.03 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एतद्द्वारा आदेश देती है कि राज्य सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर सुधार न्यास, नगर पालिका, कृषि उपज मंडी एवं मंडी समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको), राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ, राज्य सरकार के अन्य उपकमों के द्वारा आवंटित/विकय की गई स्थावर सम्पत्ति के संबंध में उनके द्वारा निष्पादित समस्त विलेखों या लिखतों पर देय स्टाम्प ड्यूटी घटाकर अग्रिम आदेश तक सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर निम्न प्रकार देय होगी:–

क्र. सं.	विवरण	देय स्टाम्प ड्यूटी
1.	दस्तावेज निष्पादन की दिनांक से 2 माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपकम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप मे ली गई कुल राशि पर कन्वेन्स की दर से।
2.	दस्तावेज निष्पादन की दिनांक से 2 माह पश्चात एवं 4 माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपकम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप मे ली गई कुल राशि में 25 प्रतिशत की वृद्वि कर उस पर कन्वेन्स की दर से।
3.	दस्तावेज निष्पादन की दिनांक से 4 माह पश्चात एवं 8 माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपकम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप मे ली गई कुल राशि में 50 प्रतिशत की वृद्वि कर उस पर कन्वेन्स की दर से।

परन्तु उपरोक्त निकायों/संस्थाओं/उपकमों के द्वारा स्थावर सम्पत्ति के संबंध में निष्पादित विलेख/लिखत यदि पंजीयन के निर्धारित निष्पादन की दिनांक से 8 (आठ) माह की अवधि में पंजीकृत नही कराकर उपरोक्त निकायों/संस्थाओं/उपकमों सें पुर्नवैध करवाकर पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी स्थिति में पुर्नवैध किये गयें दस्तावेज में अंकित अचल सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक शुल्क देय होगा।

(प.2(36)वित्त/कर/10–60)
राज्यपाल की आज्ञा से

(भवानी सिंह देथा)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान–अजमेर

क्रमांक :एफ–7(39)जन/10/ 9638 - 10087 **दिनांक :19/08/2010**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamps.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए./कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
7. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर एवं समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
9. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
10. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान
11. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
12. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
13. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
14. निजी–सचिव,महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अति. महानिरीक्षक।
15. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

19/8/10

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर